

<p>आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।</p> <p>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, दिव्यांगजन, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण / आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।</p> <p>5. उ०प्र० के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, O.T.R. के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी / उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।</p> <p>6. आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।</p> <p>7. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी / आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।</p> <p>8. महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।</p> <p>9. अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी / उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वालित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p> <p>6. आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):— आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सेन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या— 22 / 10 / 1976 — कार्मिक—2—85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:</p> <p>(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना / नौ सेना / वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।</p> <p>(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि</p> <p>(क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो।</p> <p>(ख) वह त्वाग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं</p> <p>(ग) वह सेना से कदाचार अथवा सारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेव्यट्री प्रदान की गई हो।</p> <p>7. वैवाहिक प्रारूपिति:— ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यालय ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।</p> <p>8. शैक्षिक अर्हता:— आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि अवश्य धारित करना चाहिये।</p> <p>अधिमानी अर्हता:— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:—</p> <p>(i) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।</p> <p>नोट:- आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।</p> <p style="text-align: center;">पद की संगत सेवा नियमावलियाँ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 ● उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 ● उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009 <p>9. आयु सीमा:— (i) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1985 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।</p> <p>(ii) अधिकतम आयु सीमा में छूट:— (क) उ०प्र० की अनुसूचित जाति, उ०प्र० की अनुसूचित जन जाति, उ०प्र० के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ०प्र० के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ०प्र० के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।</p> <p>10. सहायक अभियोजन अधिकारी पद की मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में कठिपय सूचनायें—</p> <p>(1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में समिलित किये जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशनानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹ 200/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/-, योग ₹ 225/- तथा उ०प्र० के अनुसूचित जाति / उ०प्र० के अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क ₹ 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग ₹ 105/- निर्धारित है। उ०प्र० के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क ₹ 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग ₹ 105/- निर्धारित है। उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / महिला अभ्यर्थी / उ०प्र० के कुशल खिलाड़ियों जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग / श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, जिनकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (3) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य (लिखित) परीक्षा के आधार पर सफल घोषित होंगे। (4) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व आवेदन पत्रादि भरना होगा। (5) मूल प्रमाण पत्रों की जांच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सारे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा। (7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। (8) साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।</p> <p>नोट— सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य (लिखित) परीक्षा—2025 के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र / प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र / प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।</p> <p>11. अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश:— (1) हाई स्कूल अथवा समक्ष उत्तरी परीक्षा के प्रमाण पत्र में अकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।</p> <p>(2) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतंत्रता प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र / अभिलेख संलग्न न करने पर आवेदन पत्र / अंक पत्र स्वतंत्र: प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।</p> <p>(3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानीयों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम विकितसाधिकारी / विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य परीक्षित विकितसाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिह्नित किये गये पदों पर दिव्यांग की उपत्ति दी जायेगी।</p> <p>(4) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।</p> <p>(5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी</p>	<p>जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।</p> <p>(6) कदाचय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इ</p>
--	---

6.	Acid attack Victim		
7.	Low Vision	#	
8.	Blindness	#	
9.	Deaf	£	
10.	Hard of Hearing	£	
11.	Speech and Language disability		
12.	Intellectual Disability		
13.	Specific Learning Disability		
14.	Autism Spectrum Disorder		
15.	Mental illness		
16.	Chronic Neurological Conditions		
17.	Multiple sclerosis		
18.	Parkinson's disease		
19.	Haemophilia		
20.	Thalassemia		
21.	Sickle Cell disease		

B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after..... years.....months, and therefore this certificate shall be valid till....

(DD) (MM) (YY)

@ -e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)	

Form-IV

Certificate of Disability

(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Date:

Certificate No.

This is to certify that we have carefully examined
Shri/ Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY)
age ____ years, male/female _____.
Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/
Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose

photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____
Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been
evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be
specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after.....years.....months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)	

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण—पत्र का प्रपत्र

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) पुत्र/ पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्री या पुत्री का पुत्री) / पौत्री (पुत्री की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपराकित अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

रखान हस्ताक्षर
दिनांक पूरा नाम
मुहर जिलाधिकारी
सील

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या—22 / 21 / 1983—कार्मिक—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण—पत्र के फार्म — 1 से 4 प्रारूप — 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

प्रारूप — 1

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (रखान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ दूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूर्नामेन्ट में रखान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/ (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

रखान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट: यह प्रमाण—पत्र नेशनल फेडरेशन/ नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/ खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की

सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (दूर्नामेन्ट रखान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ दूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूर्नामेन्ट में रखान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

रखान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
पता
मुहर

नोट: यह प्रमाण—पत्र प्रदेशीय खेल—कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/ खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (रखान का नाम) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय में (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/ दूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दू

हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर
की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री
..... निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के
विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के
नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में
स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा
द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट-2

**सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रा10) परीक्षा-2025 की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम
प्रश्नपत्र-सामान्य ज्ञान एवं विधि**

समय: 2 घण्टे अंक-150

भाग-। (सामान्य ज्ञान-प्रश्नों की कुल संख्या-50)

विषय	अंक/प्रश्नों की संख्या
(1) सामान्य विज्ञान	08
(2) राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनायें	10
(3) भारत का इतिहास	08
(4) भारतीय राष्ट्रीय आनंदोलन	08
(5) भारतीय राज्यतंत्र एवं अर्थ-व्यवस्था	08
(6) विश्व भूगोल एवं जनसंख्या	08

उपर्युक्त विषयों के सन्दर्भ में अभ्यर्थियों से सामान्य जानकारी अपेक्षित है।

भाग-॥ (विधि-प्रश्नों की कुल संख्या-100)

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित अधिनियम/विधि सन्निहित हैं:-

विषय	अंक/प्रश्नों की संख्या
1— भारतीय न्याय संहिता, 2023	30
2— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	20
3— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	25
4— उ0प्र0 पुलिस अधिनियम एवं नियमावली	15
5— भारतीय संविधान	10

परिशिष्ट-3

सहायक अभियोजन अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-2025 की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

(अ) लिखित परीक्षा:- मुख्य परीक्षा में 06 प्रश्नपत्र होंगे जिसमें सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्रों की अवधि डेढ़-डेढ़ घंटे तथा अन्य सभी प्रश्नपत्रों की अवधि तीन-तीन घंटे निर्धारित है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

प्रश्नपत्र	अंक
(1) सामान्य हिन्दी (प्रश्न पत्र हाई स्कूल स्तर का होगा)	100
(2) सामान्य अंग्रेजी (प्रश्न पत्र हाई स्कूल स्तर का होगा)	50
(3) सामान्य ज्ञान	50
(4) क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर	100
(5) साक्ष्य अधिनियम	100
(6) अन्य अधिनियम*	100

कुल अंक- 500

* “अन्य अधिनियम” के प्रश्नपत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे:-

- (i) आयुध अधिनियम, 1959
- (ii) लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012
- (iii) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- (iv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- (v) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
- (vi) सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000
- (vii) विरफ्टोटक अधिनियम, 1884
- (viii) लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984
- (ix) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- (x) उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1970
- (xi) उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
- (xii) उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, 1955
- (xiii) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021
- (xiv) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
- (xv) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024
- (xvi) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946.

नोट: प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के अन्तर्गत सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम एक समान है।

(ब) व्यक्तित्व परीक्षा 50 अंक

अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठद ध्यान पर सम्पूर्ण ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के सन्दर्भ में किया जायेगा।

नोट:- अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों तथा लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार होगी।

सचिव